राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम अलवर

कोयलदेवी बनाम लाली देवी

किस्म मुकदमा 225 RTAct नं. 10/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज कोयल/लाली वै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तारीख में जारी हुए
25/1/21	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सम्मिलित का अवलोकन किया गया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज किया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.07.2020 के विरुद्ध अपील पेश कर बहस में कथन किया कि तहत अदालत में अपीलान्ट को मुद्दइया पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि आराजी नं० 340 रकबा 0.25 हे० तथा ख० नं० 342 रकबा 0.20 हे० कुल किता 2 रकबा 0.55 हे० का 1/2 हिस्सा स्थित ग्राम खोखाना तहसील कठूमर जिला अलवर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 27.1.2020 को मय स्टाम्प व श्रीमति लली देवी पत्नि रामदेई मीना से खरीद की है। इसलिए प्रार्थना पत्र 96 CPC व धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ यह अपील पेश की है। बहस में आगे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न रेकार्ड एवं प्रार्थना पत्रों का हवाला देते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी साजबाज से मिलकर होकर अस्थाई स्थगन आदेश लेकर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करा रहे हैं। CPC के प्रावधानों के	

हुक्म	कोपल/लाल वि०	जारी हुए
	तहत अव्वल अपील निष्पादन को 01 माह की अवधि में निस्तारित कर देना चाहिए जो अभी तक अदालत द्वारा नहीं किया गया है। अतः मजबूर होकर तहत अदालत के आदेश दिनांक 2.7.20 के विरुद्ध यह अपील पेश की है। अतः प्रार्थना पत्र अपील स्वीकार की जावे। तहत अदालत का आदेश निरस्त किया जावे तथा पत्रावली इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि वह अन्य पक्षकारों व अपीलार्थी पक्षकारों को मुकदमा पक्षकार बनाकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। बहस अपीलार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील तथ्यों अपील के साथ प्रस्तुत रेकॉर्ड एवं आदेश दिनांक 02.07.2020 का अवलोकन किया गया। धारा 96 CPC एवं धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली अपील के साथ संलग्न पंजीकृत विक्रय पत्र श्रीमती लाली देवी व कोयली देवी कब्जेवाली आराजी ख.नं. 340 रकबा 0.25 हे. तथा ख. नं. 342 रकबा 0.30 हे कुल किता 02 रकबा 0.55 हे. का 1/2 भाग का है। अपीलार्थी को तहत अदालत में मुकदमा पक्षकार नहीं बनाया गया है और विवादित आराजियात का निर्णय तहत अदालत में ही होना है। परन्तु आदेश दिनांक 02.07.2020 के अवलोकन से जाहिर आया है कि विवादित आराजियात के बाबत	

अन्य आराजिपात में मुकदमा न 281/2020 में लाली देवी बनाम बंशी वगैरह को ही पक्षकार बनाया गया है जबकि विवादित आराजीयात में 1/2 हक हिस्सा की क्रेता अपीलार्ट है, चूंकि इस आराजियात में अपीलार्ट का क्रय हिस्से तक हित निहित है तथा अन्य पक्षकारान में विभाजन का वाद विचाराधीन है तथा वहां अदालत को ही विभाजन तय करना है। अतः प्रार्थना पत्र 96 CPC स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। जहां तक मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का प्रश्न है तो तहत अदालत में अपीलार्ट को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है तो इसकी जानकारी होने पर मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है इसलिए प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

तहत अदालत के स्थगन आदेश दिनांक 02-07-2020 के विरुद्ध यह अपील पेश की जो जैसा कि कानूनी इस्तगासों के आधार पर ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध भी धारा 225 PTA act में अपील पोषणीय है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है प्रथम दृष्टया ऐसे आदेशों के विरुद्ध पक्षकार को उसी न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए परन्तु प्रकरण यहां भिन्न प्रकृति का है। तहत अदालत में अपीलार्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा सुनने का मौका ही नहीं दिया गया है। दूसरा वादी व प्रतिवादी के बीच अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रश्न वाले 02-07-20 के आदिनांक तक निर्णय पारित नहीं करके CPC के प्रावधानों के विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलार्ट ~~[illegible]~~ को हितबद्ध —

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज अपील/सालविद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जैसाकि माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के प्रकरण नि/८४९८६/नागौर निर्णय दिनांक 12.3.14 के हवालों के अनुसार 01 माह में ऐसे अपीलों का निस्तारण करना होता है। अतः इन सभी परिस्थितियों में अपीलार्थी अपील स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाती है। तहत अदालत का निर्णय दिनांक 02.07.2020 को ~~निरस्त किया जाता~~ अपीलार्थी के हक हिस्से ख.नं. 340 रकबा 0.25 है. तथा ख.नं. 342 रकबा 0.20 है. के 1/2 हिस्से तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर वादी व अपीलार्थी को सुनकर गुणावगुण के आधार पर 01 माह की अवधि में निर्णय पारित करे। तहत अदालत को निर्णय की प्रति मय पत्रावली भिजवाई जावे। अपील का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाकर [illegible] शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 25.01.21 को खुले इजलास सुनाया गया।	